राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1153/2020
दयाचन्द शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक करौली।
3. प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बड़ौदा गजराजपाल, जिला करौली।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.01.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गोरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी जुलाई, 2014 से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बड़ौदा गजराजपाल, जिला करौली में कार्यरत था। व्यक्तिगत एवं घरेलू परेशानियों के कारण अपीलार्थी दिनांक 04.07.2014 से 18.07.2014 तक का मेडिकल अवकाश का प्रार्थना पत्र दिया तथा दिनांक 19.07.2014 को विद्यालय में उपस्थित होकर दिनांक 20.07.2014 से 10.08.2014 तक का अवकाश प्रार्थना पत्र दिया। उसके पश्चात् दिनांक 11.08.2014 से 15.08.2014 तक विद्यालय में उपस्थित रहा। फिर अपीलार्थी की मानसिक स्थिति खराब होने के कारण तथा पत्नी का ईलाज कराने के लिए अपीलार्थी ने दिनांक 16.08.2014 से अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी स्वयं को तथा अपीलार्थी की पत्नी को दिखाने के लिए अवकाश पर जाना चाहता है। इसलिये अवकाश स्वीकृत किया जावें। अपीलार्थी के सर्विस रिकॉर्ड में अन्य कोई अवकाश शेष नहीं होने के कारण अपीलार्थी ने अवैतनिक अवकाश हेतु प्रत्यर्थीगण को प्रार्थना पत्र दिया तथा अपीलार्थी ने अपने मानसिक रोग को डॉक्टर प्रदीप शर्मा को जो मानसिक रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सालय, जयपुर में दिखाया तथा उसी दौरान अपीलार्थी का पुत्र मुकेश चंद शर्मा जो पूर्व में वर्ष 2012 से मानसिक रोग से पीड़ित है, जिसका भी लगातार ईलाज चल रहा है। उक्त समस्त पारिवारिक परिस्थितियों

के कारण अपीलार्थी का मानसिक संतुलन खराब होने के कारण अपीलार्थी मानसिक रोग से ग्रसित हो गया जिसके कारण अपीलार्थी विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा प्रत्यर्थीगण को अवैतनिक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने मानसिक रोग से स्वस्थ होने पर दिनांक 16.02.2018 को प्रत्यर्थी सं. 3 के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया कि मैं ड्यूटी पर उपस्थित हूं। ड्यूटी ज्वाईन कराने की कृपा करें। जिस पर प्रत्यर्थी सं. 3 ने प्रत्यर्थी सं. 2 को दिनांक 16.02.2018 को अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अग्रेषित करते हुए लिखा कि अपीलार्थी अगस्त 2014 से अनुपस्थित है। पत्र कार्यवाही हेतु प्रेषित है। जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.02.2018 को ही लिखा कि नियमानुसार कार्यवाही करें। अर्थात् प्रत्यर्थी सं. 3 व 2 का यह कर्त्तव्य था कि अपीलार्थी को ड्यूटी पर उपस्थित होने पर कार्यग्रहण करवाया जाना चाहिए था। अगर अपीलार्थी ने किसी नियम का उल्लंघन किया है तो नियमानुसार अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रत्यर्थीगण स्वतंत्र थे। परन्तु प्रत्यर्थीगण ने जानबूझकर अपीलार्थी को हैरान व परेशान करने के आशय से अपीलार्थी को कार्यग्रहण नहीं करवाया, जिस पर अपीलार्थी ने अनेक बार प्रत्यर्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तथा रजिस्टर्ड डाक से भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी को कार्यग्रहण करवाया जायें। परन्तु प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी को आज तक कार्यग्रहण नहीं करवाया।

2. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:—

> ''(क) अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षीगण को निर्देश दिया जावें कि अपीलार्थी को दिनांक 04.07.2014 से दिनांक 18.07.2014 तक मेडिकल अवकाश स्वीकृत किया जावें। दिनांक 19.07.2014 से 10.08.2014 तक के अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिनांक 16.08.2014 से दिनांक 15.02.2018 तक अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने के प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिये जावें। दिनांक 16.02.2018 से आज तक की अवधि को उपस्थिति काल मानते हुए अपीलार्थी का माह जुलाई 2014 का वेतन तथा दिनांक 16.02.2018 से आज तक का वेतन मय ब्याज तथा अपीलार्थी को 18 वर्षीय वेतनमान तथा 7वें वेतन आयोग में फिक्सेशन कर एरियर राशि मय ब्याज प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावें तथा अपीलार्थी को मानसिक, आर्थिक रूप से परेशानी के लिए 50,000/— रुपये प्रत्यर्थीगण से बतौर क्षतिपूर्ति दिलाई जावें।
>
> (ख) खर्चा अपील दिलाया जावे।
>
> (ग) अन्य सहायता जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझे, दिलवाई जावे।''

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी राजकीय सेवा से स्वैच्छिक रूप से लंबे समय तक अनुपस्थित रहा है, जिसके लिये अपीलार्थी को अनेक पत्रो द्वारा उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया, अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र भी विचाराधीन है तथा जांच भी लम्बित चल रही है। अपीलार्थी को माह जुलाई 2014 में मेडीकल अवकाश स्वीकृत कर नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जा चुका है। अपीलार्थी दिनांक 13.07.2013 से दिनांक 20.12.2013 तक लगातार 161 दिन अनुपस्थित रहा है, जिसके लिये अपीलार्थी को विद्यालय द्वारा पत्र दिनांक 12.09.2013 द्वारा उपस्थित होने हेतु नोटिस दिया गया, जिसका कोई जवाब अपीलार्थी द्वारा नही दिया गया। उक्त अवधि में लगातार बिना पूर्वाअनुमति एवं अवकाश प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किये, अनुपस्थित रहने पर अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 22.05.2014 को राजस्थान असैनिक सेवाए (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई, जो अभी विचाराधीन है। अपीलार्थी द्वारा जानबुझकर उक्त तथ्य माननीय अधिकरण से छुपाकर माननीय अधिकरण से अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। केवल इसी आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है। राजस्थान पत्रिका के अंक दिनांक 23.04.2015 व 27.07.2015 व दैनिक भास्कर के अंक दिनांक 07.07.2018 में अपीलार्थी के अनुपस्थित बाबत सूचना प्रकाशित करवाई गई, जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी बिना किसी उचित कारण के राजकीय सेवा से निरंतर अनुपस्थित रहता रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपनी पारिवारिक परेशानीयों के कारण मानसिक रूप से स्वयं ही परेशान रहने का कथन किया है, अपीलार्थी के विरूद्ध विद्यालय की महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा भी दिनांक 25.03.2013 को अभ्रद व्यवहार करने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक तक 18 वर्षीय वेतनमान हेतु ऑन लाईन आवेदन नहीं किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा अपील में अधिकारपूर्वक अवकाश स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना की गई है जो किसी भी राजसेवक के लिये अवकाश हेतु अधिकारपूर्वक मांग किया जाना नियमों में नही है। नियमानुसार किसी भी प्रकार का अवकाश पूर्व में स्वीकृत करवाकर ही उसका उपभोग किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा अपील में अपनी पारिवारिक परेशानियों का वर्णन किया गया है, जिसका अपीलार्थी के राजकीय कर्तव्य पर उपस्थित नही होने का कोई सम्बंध नही है। मनघन्डत तथ्य प्रस्तुत कर अपीलार्थी माननीय

अधिकरण की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार अपीलार्थी दिनांक 16.08.2014 से दिनांक 10.12.2020 तक लंबी अवधि के लिये बिना अवकाश स्वीकृत कराये बिना किसी प्रकार की सूचना दिये राजकीय कर्तव्य से अनुपस्थित रहा है। केवल पत्राचार के अपने आपको राजकीय कर्तव्य पर उपस्थित होने का दावा कर रहा है, जो कि किसी भी दृष्टि से स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

4. हमनें उभय पक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया। अपीलार्थी ने मुख्य रूप से यह प्रार्थना की है कि दिनांक 16.08.2014 से 15.04.2018 तक अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये जाने के लिये प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिये जाए। हमारे मत में किसी कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत या अस्वीकृत करने का कार्य एक प्रशासनिक कार्य है, जो प्रशासन नियमानुसार करता है। प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार इस अधिकरण को नहीं है। यह अधिकरण केवल मात्र इस हद तक निर्णय दे सकता है कि स्वीकृत या अस्वीकृत अवकाश नियमानुसार है या नहीं है।

5. अतः अपीलार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है, उस सम्बन्ध में यह अधिकरण प्रशासन को कोई निर्देश देना उचित नहीं पाता है। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)